प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर .वर्ष 2022
प्र0इ0रि0 सं0 ..... 100 /2022..................दिनांक.....25/3/2022..........

2. (I) *अधिनियम ... धाराये. 7, (संशोधित) पीसी एक्ट 2018
(II) *अधिनियम............धारायें ..120 बी भा.द.स.
(III) *अधिनियम ....धारायें ....
(IV) 'अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....426 समय . 7:00 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन –गुरुवार दिनांक 24.03.2022 समय 08:49 ए.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 22.02.2022 समय 11:30 ए.एम.

4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित

5. घटनास्थल:- बलाईयों की ढ़ाणी, ग्राम पंचायत छान्देल कलां, तहसील चाकसू, जयपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- दक्षिण-पूर्व दिशा दूरीं करीब 40 कि0मी0
(ब) पता :
बीट संख्या...........................जयरामदेही सं...............................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम:- श्री दयाराम सैनी
(ब) पिता/पति का नाम – स्व. श्री नारायण सैनी
(स) जन्म तिथि/वर्ष ....32 वर्ष.....................
(द) राष्ट्रीयता .भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय .
(ल) पता – निवासी ग्राम केशवपुरा (छान्देल खुर्द) तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :-
श्री मुकेश कुमार बलाई पुत्र श्री कानाराम बलाई, उम्र 32 वर्ष, निवासी बलाईयों की ढ़ाणी, ग्राम पंचायत छान्देल कलां, तहसील चाकसू, जिला जयपुर हाल सरपंच ग्राम पचांयत छान्देल कलां व अन्य

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-..कोई नहीं.....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
15,000 रूपये रिश्वती राशि

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य:- 15,000/-रूपये रिश्वती राशि

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

हालात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 22.02.2022 को परिवादी श्री दयाराम सैनी पुत्र स्व. श्री नारायण सैनी जाति माली, उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम केशवपुरा (छान्देल खुर्द) तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान ने अति0 पुलिस अधीक्षक, नगर-प्रथम, जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूं तथा सांगानेर, जयपुर में प्लम्बर का कार्य करता हूं। मैंने मेरी माताजी कालीदेवी के नाम से हमारे मकान का आवासीय पट्टा लेने के लिये ग्राम पंचायत छान्देल कला, पचांयत समिति कोटखावदा में आवेदन किया था। जिस पर ग्राम पंचायत छान्देल कलां के सरपंच मुकेश कुमार बलाई ने एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की तथा पट्टा देने की ऐवज में धमकाकर 70 हजार रुपये स्वंय ने ले लिये तथा अब 30 हजार रुपये और मांग रहा है, जो में देना नहीं चाहता हूं तथा सरपंच को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी मुकेश कुमार सरपंच से कोई रंजिश व उधारी बकाया नहीं है। सरपंच के दलाल गिर्राज शर्मा, भगवती प्रसाद गुर्जर है, जो मुझसे तथा अन्य लोगो से भी सरपंच के लिये रिश्वत मांगते है तथा पैसा नहीं देने पर लोगों के जायज काम भी अटका देते है। उक्त को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ने की कृपा करे एवं कानूनी कार्यवाही करे। मजीद दरियाफ्त पर पूछने पर परिवादी ने बताया कि ग्राम पंचायत छान्देल कला से हमारे मकान का आवासीय पट्टा लेने के लिये ग्राम पंचायत छान्देल कलां के सरपंच मुकेश कुमार बलाई स्वंय ने एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की है तथा 70 हजार रुपये भी स्वंय ने ही लिये है तथा अब 30 हजार रुपये भी स्वंय ही मांग रहा है। परिवाद में रिश्वत के संबंध में अंकित अन्य व्यक्तियों द्वारा रिश्वत की मांग की जाने पर मैं आपको आवश्यक रुप से अवगत कराऊंगा। उक्त परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन का निर्णय लिया गया। परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बंद करने का तरीका समझाकर श्री राजकुमार कानि. नं. 364 का परिवादी श्री दयाराम सैनी से परिचय करवाया जाकर दिनांक 08.03.2021 को श्री राजकुमार कानि. को परिवादी के पास अग्रिम कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। उसके बाद श्री राजकुमार कानि. ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आकर मन् उप अधीक्षक को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया व परिवादी ने बताया कि उसकी ग्राम पंचायत छान्देल कलां के सरपंच मुकेश कुमार से वार्ता हुई है, जिसने मुझसे मेरा बीपीएल का पट्टा देने की ऐवज में शेष 30,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की, मेरे द्वारा निवेदन करने पर सरपंच जी द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत राशि ओर देने की सहमति की गई। मेरे द्वारा सरपंच को 70,000 रुपये पूर्व में दिये जा चुके है। इसके बाद दिनांक 10.03.2022 को परिवादी श्री दयाराम सैनी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान भी उपस्थित आये। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाते हुए ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान के रूप में उपस्थित रहने की सहमति चाही गई तो दोनों ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की। दिनांक 08.03.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता की वार्ता रूपान्तरण तैयार की जाकर फर्द ट्रासंक्रिप्ट तैयार की जाकर वॉईस क्लिप 03 डीवीडी में रिकार्ड/सेव कर मार्का अंकित किया जाकर डीवीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व डीवीडी अनुसार कपड़े के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। परिवादी श्री दयाराम सैनी को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध आरोपी को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहने पर परिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2000-2000 रूपये के 02 नोट व 500-500 रूपये के 22 नोट कुल 15,000 रूपये पेश किये। उक्त नोटों को फर्द में अंकित करवाकर नोटों पर श्री बंशीधर कानि. 363 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों पर नियमानुसार फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। जिसकी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी, श्री श्रवण कुमार पुलिस निरीक्षक, श्री राजेश हैड कानि. 41, श्री हरिसिंह कानि. नम्बर 19, श्री राजकुमार कानि. 364, श्री लालू सैनी

कॉनि. 418 दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री मनोज कुमार चांवरिया वरिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के एवं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर अपने पास सुरक्षित रखकर ब्यूरो कार्यालय जयपुर से जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 युसी 8799 मय चालक के तथा परिवादी श्री दयाराम सैनी को भी उसके निजी वाहन से श्री कानि. मनुशर्मा 111 के साथ चाकसू के लिए रवाना होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाप्ता के चाकसू बायपास पहुंच कर वहां से रवाना होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही ट्रेप पार्टी के चाकसू कस्बे में पहुंच कर ट्रेप जाल बिछाया गया। लेकिन संदिग्ध आरोपी श्री मुकेश कुमार सरपंच सार्वजनिक कार्यक्रम/निजी कार्यो में व्यस्त होने के कारण बाद में मिलकर रिश्वत राशि देने के लिए कहने पर उस दिन ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी। उसके बाद परिवादी से पाउडर लगी राशि 15,000 रुपये रुबरु गवाहान प्राप्त कर लिफाफे में डलवाकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहान सरकारी वाहन मय साजो सामान के ब्यूरो कार्यालय, जयपुर पहुंच कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगी राशि 15,000 रुपये रखे हुये लिफाफे को तथा विभागीय डिजिटल वायस रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा गया।

इसके बाद दिनांक 23.03.2022 परिवादी श्री दयाराम सैनी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा बताया कि संदिग्ध श्री मुकेश कुमार सरपंच ने मुझे पटटा लेने के लिए रिश्वती राशि 15,000 रुपये सहित अपने घर बलाईयों की ढ़ाणी में बुलाया है। जिस पर दिनांक 24.03.2022 को ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय किया गया।

दिनांक 24.03.2022 को पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित आने पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगी राशि 15,000 रुपये के लिफाफे को कार्यालय आलमारी से गवाहान के समक्ष आशीष कॉनि. से निकलवाकर उसके पास सुरक्षित रखवाया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी, श्री श्रवण कुमार पुलिस निरीक्षक, श्री मनोहर सिंह हैड कानि. 42, श्री हरिसिंह कानि. नम्बर 19, श्री बंशीधर कानि. 363, श्रीमती राजबाला महिला कानि. 495, श्री आशीष कानि. 208, श्री राजकुमार कानि. 364 तथा श्री लालु कानि. 418 दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार व श्री राजेश कुमार बैरवा मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सहित ब्यूरो कार्यालय जयपुर से जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 युसी 8798 मय चालक के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना होकर टोंक रोड़ पर निम्बोड़िया चौराहे के पास पहुंच कर सरकारी वाहन को सड़क के किनारे साईड में खड़ा कराया गया तथा पूर्व में पाबंदशुदा परिवादी श्री दयाराम सैनी उपस्थित मिला, जहां पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री मनोज कुमार चांवरिया वरिष्ठ सहायक का परिवादी व कार्यालय स्टाफ का आपस में पुनः परिचय करवाया गया। गोपनीय कार्यवाही में साथ रहने हेतु निर्देशित किया गया। जिनसे उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने बाबत पुछा तो दोनों ने स्वैच्छा से अपनी-अपनी सहमती व्यक्त की। इसके बाद आशीष कॉनि. के पास पूर्व में पाउडर लगी राशि 15,000 रुपये को लिफाफे से बाहर निकलवाकर रुबरु गवाह आशीष से गिनवाकर परिवादी श्री दयाराम सैनी की पहनी हुई पैंट की दाहीनी साईड की जेब में रखवाई जाकर हिदायत की गई संदिग्ध आरोपी के मांगने पर उक्त राशि उसे सुपुर्द करें, इससे पूर्व उक्त पाउडरयुक्त राशि को हाथ नहीं लगावे तथा संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद परिस्थिति अनुसार अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर या मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल कर ट्रेप पार्टी को मुकरर्र ईशारा करने की परिवादी को हिदायत दी गई तथा लिफाफे को जलाकर आशीष कानि. के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री दयाराम सैनी को उसकी मोटर साईकिल से तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाप्ता के मय सरकारी वाहन के परिवादी से दूरी बनाते हुये उसके पीछे-पीछे रवाना होकर केशवपुरा गांव से पहले पहुंचे। जहां मौके का सरसरी तौर पर नजरी निरीक्षण किया गया व कार्यालय डिजिटल रिकॉर्डर को रुबरु गवाहान खाली होना सुनिश्चित

कर श्री राजकुमार कानि. को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी के साथ बलाईयों की ढ़ाणी के पास पहुंच कर परिवादी को डिजिटल रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द कर देवें तथा परिवादी व राजकुमार कानि. को संदिग्ध श्री मुकेश कुमार के निवास स्थान बलाईयों की ढ़ाणी के लिए रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाप्ता के परिवादी से दूरी बनाते हुये उसके पीछे-पीछे रवाना होकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों को आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मूकिम कर परिवादी के ईशारे का इतंजार किया गया। उसके कुछ समय बाद परिवादी श्री दयाराम सैनी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को पूर्व हिदायतानुसार मोबाईल पर मिस कॉल कर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने का ईशारा किया। ईशारा मिलने पर आस-पास खड़े मुकीम ट्रेप पार्टी के सदस्य एवं स्वतंत्र गवाहान को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने साथ लेकर बलाईयों की ढ़ाणी में श्री मुकेश कुमार के मकान के अन्दर पहुंचकर परिवादी को पूर्व में सुपुर्द किया हुआ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा। परिवादी दयाराम सैनी ने अपने पास बैठे नीले रंग की जींस पैंट व हरे रंग की शर्ट पहने व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह श्री मुकेश कुमार बलाई सरपंच ग्राम पंचायत छान्देल कलां हैं। जिसने मुझसे अभी-अभी 15,000 रूपये रिश्वत राशि अपने हाथों से प्राप्त कर पलंग के ऊपर बिछे हुये गदे पर रखे हैं। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व ट्रेपपार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उस व्यक्ति से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम पता मुकेश कुमार बलाई पुत्र श्री कानाराम बलाई, उम्र 32 वर्ष, निवासी बलाईयों की ढ़ाणी, ग्राम पंचायत छान्देल कलां, तहसील चाकसु, जिला जयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत छान्देल कलां होना बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री मुकेश कुमार बलाई को परिवादी श्री दयाराम सैनी से 15,000 रूपये ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री मुकेश कुमार बलाई ने बताया कि मैं ग्राम पंचायत छान्देल कलां का सरपंच हूं। श्री दयाराम सैनी ने अपनी माताजी श्रीमती कालीदेवी के नाम से बीपीएल श्रेणी में ग्राम पंचायत छान्देल कलां से आबादी भूमि में से पटटा लेने हेतु करीब 7-8 माह पूर्व ग्राम पंचायत में आवेदन किया था। जिसके बाद करीब 05 माह पूर्व श्रीमती कालीदेवी के नाम से आबादी पटटा ग्राम पंचायत से जारी कर दिया था। डीएलसी रेट के हिसाब से रुपये जमा कराने हेतु मैंने श्री दयाराम सैनी से 3200 रुपये मांगे थे, उसके बाद इन्होंने कहा था कि इस पटटे के बदौलत जो भी खर्चा-पानी होगा मैं आपको दे दुंगा। मैंने पटटा बन जाने के बाद श्री दयाराम सैनी को कह दिया था, कि आपका पटटा बन गया है, आप आकर अपना पटटा ले जाओ। जिस पर आज दयाराम सैनी यह 15,000 रुपये खर्चे-पानी के लिए अपनी ईच्छा से लेकर मेरे पास आया है। जो मैंने प्राप्त कर मेरे पंलग पर बिछे गदे पर रख दिये हैं। जिस पर मौके पर मौजूद परिवादी श्री दयाराम सैनी ने श्री मुकेश कुमार बलाई के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि मैंने मेरी माताजी श्रीमती कालीदेवी के नाम से ग्राम पंचायत छान्देल कलां से आबादी भूमि में से बीपीएल श्रेणी में पटटा लेने हेतु करीब 7-8 माह पूर्व पंचायत में आवेदन किया था। जिसके लिए श्री मुकेश कुमार सरपंच ने 1,00,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की तथा कहा था, कि तुम एक लाख रुपये दे देना तुम्हारा काम हो जायेगा। इसके बाद श्री मुकेश कुमार सरपंच ने मेरे से 70,000 रुपये पूर्व में प्राप्त कर लिये थे तथा दिनांक 08.03.2022 को मेरे द्वारा निवेदन करने पर सरपंच जी द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत राशि ओर देने की बात हुई थी। जिस पर अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे द्वारा श्री मुकेश कुमार सरंपचजी को 15,000 रुपये रिश्वत राशि दी है तथा सरपंच जी ने मेरे को मेरी माताजी के नाम पटटा दे दिया है, जो मेरे पास है। इस पर पुनः श्री मुकेश कुमार बलाई से उक्त रिश्वत के लेन-देन के संबंध में पूछा गया तो श्री मुकेश कुमार बलाई ने उक्त रिश्वत राशि खर्चे-पानी के लिए लेना बताया। इसके बाद पंलग के ऊपर बिछे हुये गदे पर रखे हुये मिले 2000-2000 व 500-500 रुपये के नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार बैरवा से उठवाकर उसी के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके बाद ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर श्री मुकेश कुमार बलाई के मकान से एक जग में साफ पानी मंगवाकर दोनों गिलासो में साफ पानी डालकर दोनों गिलासो को धुलवाकर तथा दोनों गिलासो में साफ पानी डालकर उनमें एक-एक चम्मच

सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् कांच के दोनो गिलासों के घोल में आरोपी श्री मुकेश कुमार बलाई के दोनों हाथों की अंगुलियो व अंगुठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो दोनों हाथों के धोवनों का रंग गुलाबी व गदमैला हो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो-दो साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क अंकित कर चिट चस्पा कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसी प्रकार एक अन्य साफ कांच के गिलास में पूर्वानुसार घोल तैयार करवाकर आरोपी के पंलग के ऊपर चैकदार रंग के बिछे हुये गद्दे का वह हिस्सा जिस पर से रिश्वती राशी बरामद हुई थी, उक्त स्थान को एक साफ कपड़े के टुकड़े से पौंछकर उस कपड़े को कांच के गिलास में डुबोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो अन्य साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया व पंलग के ऊपर बिछे हुये गदे पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्क अंकित कर पैकिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों तथा मय आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहन एवं चालक के रवाना होकर पुलिस थाना चाकसू पहुंचकर आगामी कार्यवाही शुरू की गई। स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार बैरवा के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वत राशि के नोटों को दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 2000-2000 रूपये के 02 नोट व 500-500 रूपये के 22 नोट कुल 15,000 रूपये हुबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न प्रकार है:-

1.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8 EQ 223701
2.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0 AD 453341
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 FM 279355
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 GH 303662
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 SS 566528
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 GE 755762
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 TA 883553
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 CD 744397
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 GL 388448
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 ES 468218
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 EF 574533
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 UF 705920
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 BC 523328
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 LK 541151
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 TW 248997
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 DC 693631
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 BF 513296
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 FM 342817
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 KR 705190
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 SE 230870
21.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 FH 492107
22.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 KB 437631

23.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 CK 276132
24.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 AF 953615

उपरोक्त 15,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से पूर्व में प्राप्त विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चला कर सुना गया तो आरोपी श्री मुकेश कुमार बलाई व परिवादी की वक्त लेन-देन के समय की वार्ता होना पाई गई। आरोपी श्री मुकेश कुमार बलाई सरपंच के पलंग के पास मिली पॉलीथिन की थैली में भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेजों का श्री मुकेश कुमार को अवलोकन कराया जाकर उक्त दस्तावेजात उसके घर में रखे होने के संबंध में श्री मुकेश कुमार से पूछने पर बताया कि आवेदनकर्त्ताओं द्वारा ग्राम पंचायत से पटटे नहीं लिये जा रहे थे, जिस पर मैंने ग्राम सैकेट्री देवेन्द्र कुमार शर्मा से आवेदनकर्ताओं को देने के लिए ले लिये थे। इसी दौरान पूर्व में तलविदा श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत छान्देल कलां उपस्थित आया, जिससे उक्त ग्राम पंचायत छान्देल कलां द्वारा जारी भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेजों मय परिवादी की माताजी श्रीमती कालीदेवी के नाम जारी पटटा (भूमि आवंटन पत्र) का अवलोकन कराया जाकर उक्त दस्तावेजात श्री मुकेश कुमार के घर में रखे होने के संबंध में पूछने पर श्री देवेन्द्र कुमार ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि सामान्यतः उक्त पटटा ग्राम पचांयत कार्यालय से दिये जाते हैं, प्रक्रियात्मक रुप से आवेदनकर्ता आवासीय पटटे के लिये अपना आवेदन कार्यालय ग्राम पंचायत में करता है, उसके बाद पंचायत द्वारा वार्ड पंचों की कमेटी बनाकर मौका निरीक्षण किया जाता है। गठित कमेटी की मौका रिपोर्ट के बाद आपत्ति नोटिस चस्पा किये जाते हैं, जिसमें कोई आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पटटा जारी किया जाता है, जिस पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सरपंच व दो वार्ड पचों के हस्ताक्षर होते हैं। पटटा जारी होने के बाद पटटा कार्यालय ग्राम पचांयत में रहता है और आवेदनकर्ता को इसकी सूचना जरिये नोटिस जारी कर नोटिस की तामील कराई जाती है और आवेदनकर्त्ता ग्राम पंचायत कार्यालय में आकर पटटा प्राप्त कर लेता है। लेकिन पटटाधारकों द्वारा उक्त पटटा ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त नहीं करने के कारण सरपंच श्री मुकेश कुमार के मांगने पर मैंने उक्त पटटा दस्तावेज आदि श्री मुकेश कुमार सरपंच को दे दिये थे। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वति राशि तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री मुकेश कुमार बलाई सरपंच छान्देल कलां से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट पृथक से तैयार कर व परिवादी श्री दयाराम सैनी व आरोपी के मध्य रिकॉर्ड रिश्वत सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन की वार्ता से मिलान हेतु अपनी नमूना आवाज देने हेतु फर्द नमूना आवाज पृथक से बनाई जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा आरोपी को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तीब की गई। घटनास्थल का स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। उसके बाद ग्राम पंचायत छान्देल कलां के कार्यालय पहुंच कर मौके पर उपस्थित ग्राम विकास अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा तथा आरोपी श्री मुकेश कुमार बलाई, सरपंच की उपस्थिति में उनके कार्यालय कक्ष का सरसरी तौर पर निरीक्षण किया गया तो कक्ष में विभिन्न सरकारी दस्तावेज व पत्रावलियों के अतिरिक्त कार्यालय ग्राम पचांयत छान्देल कलां द्वारा जारी कब्जाशुदा भूमि आबादी का नियमानुसार जारी पटटा प्राप्त करने के क्रम में आवेदकों को जारी निम्न मूल पत्र (नोटिस) कक्ष की साईड की टेबल पर रखे मिलेः- 1. एसपीएल नं. 02 दिनांक 20.12.21, श्रीमती कालीदेवी के नाम प्रेषित, 2. एसपीएल नं. 03 दिनांक 20.12.21, श्रीमती फूलादेवी के नाम प्रेषित, 3. एसपीएल नं. 04 दिनांक 20.12.21, श्री धोलुराम के नाम प्रेषित, 4. एसपीएल नं. 05 दिनांक 20.12.21, श्री नन्दाराम के नाम प्रेषित, 5. एसपीएल नं. 09 दिनांक 20.12.21, श्री रंगलाल मीणा के नाम प्रेषित व 6. एसपीएल नं. 02 दिनांक 20.12.21, श्रीमती कालीदेवी के नाम प्रेषित। उपरोक्त नोटिसों पर श्री मुकेश कुमार बलाई, सरपंच के सील

सहित हस्ताक्षर हैं। उक्त नोटिसों के बारे में आरोपी श्री मुकेश कुमार एवं श्री देवेन्द्र कुमार से पूछने पर बताया कि उक्त नोटिस तामील के लिए जारी कर रखे हैं, जो अभी तक तामील नहीं हुये हैं, समय मिलने पर तामील करवाने के लिए रखे हैं, आवेदनकर्ताओं को पटटा देने के नोटिस तामील कराने में अत्यधिक समय लगना जिसमें कि परिवादी की माताजी श्रीमती कालीदेवी का पटटा भी नोटिस जारी होने के पश्चात नहीं देकर रिश्वत राशि प्राप्त होने के पश्चात ही पटटा दिये जाने की प्रक्रिया संदिग्ध होना प्रतीत पाई गई। उसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर गिरफ्तारशुदा आरोपी, शिल्ड शुदा आर्टिकल्स, ट्रेप बॉक्स मय साजो सामान मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के सरकारी वाहन के रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचे एवं शिल्डशुदा आर्टिकल्स को सीपीएस मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। शिल्ड शुदा आर्टिकल्स पर लगाई गई फर्द नमूना सील तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली आदि कार्यवाही की गई। इसके बाद दिनांक 25.03.2022 को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजुदगी में कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखे डिजीटल वाईस रिकार्डर को बाहर निकलवाकर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष कम्प्यूटर की सहायता से सुना जाकर वॉईस क्लिप का वार्ता रूपान्तरण कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से तैयार किया जाकर रिश्वत लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर रिकॉर्ड वार्ता की नियमानुसार तीन डीवीडी में रिकार्ड/सेव किया जाकर मार्का अंकित किये गये।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है, कि परिवादी श्री दयाराम सैनी की माताजी श्रीमती काली देवी के नाम से ग्राम पचांयल छान्देल कंला से बीपीएल श्रैणी का आवासीय पटटा देने की ऐवज में आरोपी श्री मुकेश कुमार बलाई, सरपंच ग्राम पचांयत छान्देल कलां द्वारा परिवादी से 1,00,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर 70,000 रुपये पूर्व में प्राप्त कर लेने तथा दिनांक 08.03. 2022 को सत्यापन के दौरान 15,000 रुपयें में बात तय होना तथा दिनांक 24.03.2022 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान आरोपी श्री मुकेश कुमार द्वारा परिवादी से 15,000/रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये को रंगे हाथ पकड़े जाने तथा ग्राम पंचायत छान्देल कलां कार्यालय में पुरानी दिनाकों में पट्टा प्राप्त करने के क्रम में आवेदकों को जारी मूल पत्रों (नोटिसों) की तामील इतने समय तक नहीं करवाकर, जिसमें कि परिवादी की माताजी श्रीमती कालीदेवी के नाम से भी नोटिस रखा मिला, जिसका पटटे देने की ऐवज में आरोपी श्री मुकेश कुमार बलाई द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त की गई अर्थात नोटिस जारी कर ग्राम पचांयत कार्यालय में रखे रखना एवं रिश्वती राशि प्राप्त होने के पश्चात ही पट्टा दिये जाने की प्रक्रिया में अन्य व्यक्तियों की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है, जो अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व सपठित धारा 120बी भा.द.सं. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री मुकेश कुमार बलाई पुत्र श्री कानाराम बलाई, उम्र 32 वर्ष, निवासी बलाईयों की ढ़ाणी, ग्राम पंचायत छान्देल कलां, तहसील चाकसू, जिला जयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत छान्देल कलां व अन्य के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व सपठित धारा 120बी भा.द.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय

(नीरज गुरनानी)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त श्री मुकेश कुमार बलाई, सरपंच, ग्राम पंचायत छान्देल कलां, तहसील चाकसू, जिला जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 100/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

25/3/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

क्रमांक 882-86 दिनांक 25.3.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर